निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SE-152/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभारी आबकारी अधिकारी, रेडिको खेतान लिमिटेड बाजपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभारी आबकारी अधिकारी, रेडिको खेतान लिमिटेड बाजपुर के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आशीष पाण्डेय वरि. ले.प. एवं श्री अजय कुमार मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 08.03.2019 से 13.03.2019 तक श्री आर.एस.नेगी-II वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस.एस.दरियाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार मीणा ले.प. द्वारा दिनांक 10.01.2018 से 15.01.2018 तक श्री पी.के.गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - राज्य में स्थित समस्त जनपदों में एफ.एल.-21
3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	6615.89
2016-17	6330.05
2017-18	6805.44

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(`)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16								
2016-17					शून्य			
2017-18								

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
एसी कोई योजना नहीं है।					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -A--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव (आबकारी) - आबकारी आयुक्त - अपर आबकारी आयुक्त -संयुक्त आबकारी आयुक्त - उप आबकारी आयुक्त - सहायक आबकारी आयुक्त - प्रभारी आबकारी अधिकारी

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय प्रभारी आबकारी अधिकारी, रेडिको खेतान लिमिटेड बाजपुर** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभारी आबकारी अधिकारी, रेडिको खेतान लिमिटेड बाजपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: माह 03/2018 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: को विस्तृत जांच ( ) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर संख्या 1: कम ओवरटाइम शुल्क जमा करने से राजस्व क्षति ₹ 0.27 लाख।

उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावाली के परिशिष्ट-01 उत्तर प्रदेश विदेशी बोतलों मे भराई नियमावली, 1969 (जो कि उत्तराखंड मे भी प्रवृत्त है) के नियम 7 उपनियम (14) के अनुसार " यदि बंधित गोदाम मे नियुक्त आबकारी कर्मचारी वर्ग से अवकाश दिवसों मे से किसी दिवस पर या रात्रि मे उपस्थित रहने की अपेक्षा की जाती है, तो अनुज्ञापी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे सरकार को संबन्धित कर्मचारी के औसत वेतन की चार गुना धनराशि प्रति घण्टा या घण्टे के भाग, जो 15 मिनट से कम न हो, का भुगतान करें, किन्तु कार्य दिवस को दिन मे किए गए अतिरिक्त कार्य के आधार पर ऐसी धनराशि संबन्धित कर्मचारी के औसत वेतन का दो गुणा ही होगी।"

कार्यालय प्रभारी आबकारी अधिकारी, रेडिकों खेतान मे प्रभारी अधिकारी जो विभाग मे उप आबकारी निरीक्षक का पद धारण करते हैं, का ओवरटाइम शुल्क रु 108/ प्रतिघण्टा प्रभारित किया गया है, जबकि उपर्युक्त नियमानुसार ओवरटाइम शुल्क कार्यरत कर्मचारी के मूल वेतन का चार गुना के बराबर रु 272/- प्रति घंटा निम्नानुसार राजस्व में जमा किया जाना था:

मूल वेतन=रु 49000/-
प्रतिदिन का औसत वेतन 49000/30=1633.33
औसत प्रति घंटे वेतन =1833/24=68.05
प्रतिघंटे के चार गुने का वेतन=68x4=272
कुल देय ओवरटाइम शुल्क =272x180=48,960

इस प्रकार ओवर टाइम शुल्क रू 48,960/- देय के सापेक्ष मात्र रू 21,988-/ जमा किए गए अत: रू 26,972/- अवशेष ओवरटाइम शुल्क कम जमा किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इगित किये जाने पर अवगत कराया गया कि वर्ष 2015-16 की आबकारी नीति में उल्लिखित दरो पर ओबर टाइम शुल्क नियमानुसार जमा किया जा रहा हैं इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योकि आबकारी नियमावाली के परिशिष्ट-01 के अनुसार ओवर टाइम शुल्क निर्धारित कर जमा किया जाना था, जो नही किया गया, जिसके कारण ₹26,972/- के राजस्व की क्षति हुई |

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर संख्या 02: प्रभार्य सेस की कम वसूली ₹27.60 लाख।

उत्तराखंड शासन की अधिसूचना (आबकारी) दिनांक 19/05/2017 द्वारा उत्तराखंड राज्य मे देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनयमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2017-18 मे दिनांक 01/06/2017 से 31/03/2018 तक के लिए जारी किए गए नियमो के अनुसार नियम 21 मदिरा का विक्रय मूल्य के क्रम संख्या 07 पर 2% सेस आरोपित किया गया था।

कार्यालय प्रभारी आबकारी अधिकारी रेडिको खेतान के माह 04/2017 से 03/2018 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया कि इकाई द्वारा जून 2017 से मार्च 2018 तक की विदेशी मदिरा की निकासी पर अभ्यारोपित किए जाने वाले सेस का विवरण इकाई के पास उपलब्ध नही था। तालिका-I, के अनुसार वर्ष 2017-18 में इकाई द्वारा निकास की गयी विदेशी मदिरा पर रु0 234,51,367/- का सेस वसूल किया जाना था। जबकि, G-6 पंजिका मे (06/2017 से 02/2018 तक की अवधि) के लिए रु 1,90,73,866/- की प्रविष्टि पाई गयी तथा मार्च 2018 के लिए रु0 16,17,393/- की वसूली अंकित थी। जो वर्ष के कुल निकासी से रु0 27,60,108/- कम थी।

लेखा परीक्षा में इंगित करने पर इकाई ने उत्तर दिया कि सेस की वास्तविक वसूली FL-02 की बिक्री के अनुसार होती है एवं बिक्री/सूचना के वास्तविक आंकड़े FL-02 से ही प्राप्त हो सकते हैं। उत्तर स्वीकार्य नही था, देय सेस की गणना इकाई से निकासी के आधार पर की जानी थी जैसा कि सेस की वसूली के अभिलेखीकरण के लिए आबकारी विभाग के उच्चाधिकारियों की निरीक्षण टीप मे समय समय पर उल्लखित/सूचित किया गया था ।

अतः रू 27,60,108/- के प्रभार्य सेस कटौती का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था

प्रकरण शासन/उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
SE-126/2017-18	-	-	01

व्यय से संबन्धित: - लागू नहीं

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रभारी आबकारी अधिकारी, रेडिको खेतान लिमिटेड बाजपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री रवीन्द्र कुमार जोशी	प्रभारी आबकारी अधिकारी (दिनांक04/2017 से वर्तमान)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रभारी आबकारी अधिकारी, रेडिको खेतान लिमिटेड बाजपुर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र